

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

( दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर-10900\2013) / अलेसे-III / 853

दिनांक:- 03-08-2022

कार्यालय आदेश

श्रीमति वन्दना शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी सीकर को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.10(4)एफडी (गुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 12.07.2022 के आधार पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(6)एफडी / नियम / 2010 दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम 1200 / -रुपये प्रतिमाह) वाहन भत्ते की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 12.07.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।

  
(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर-10900\2013) / अलेसे-III / 853

दिनांक:- 03-08-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी सीकर।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमति वन्दना शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी सीकर।
4. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)